



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092024-257527
CG-DL-E-26092024-257527

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 753]
No. 753]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 2024/आश्विन 3, 1946
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 2024/ASVINA 3, 1946

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2024

फा. सं.CEA-PS-12-13/3/2022-PSPA-II Division.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 36) की धारा 63 के तहत बनाई गई पारेषण सेवाओं के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देशों के पैरा 3.2 और विद्युत मंत्रालय के कार्यालय आदेश दिनांक 28.10.2021 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय पारेषण समिति (एनसीटी) (अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में), पारेषण योजना के लिए निम्नलिखित बोली-प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) नियुक्त करती है, जैसा कि पारेषण योजना के नाम के आगे दर्शाया गया है:

क्रम. सं.	पारेषण योजना का नाम	पारेषण योजना का व्यापक दायरा * तथा अनुमानित कार्यान्वयन समय सीमा	बोली-प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी)
1	बनासकांठा (राघनेस्दा) पीएस (जीआईएस) में बिजली को परिणत करने की क्षमता का विस्तार	i. बनासकांठा (राघनेस्दा) पीएस (जीआईएस) में बिजली को परिणत करने के लिए 2x500 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी क्षमता का विस्तार (तीसरा और चौथा) कार्यान्वयन समय सीमा: 24 महीने	आरईसीपीडीसीएल

2	केपीएस1 (जीआईएस) और केपीएस2 (जीआईएस) (चरण-V भाग बी1 व भाग बी2 योजना) में बिजली को परिणत करने की क्षमता का विस्तार	i. केपीएस1 (जीआईएस) में बस सेक्शन- II पर 1x1500 एमवीए, 765/400 केवी आईसीटी (नौवां) की क्षमता का विस्तार ii. केपीएस2(जीआईएस) में बस सेक्शन- I पर 1x1500 एमवीए, 765/400 केवी आईसीटी (नौवां) की क्षमता का विस्तार कार्यान्वयन समय सीमा: 24 महीने	आरईसीपीडीसीएल
3	फतेहगढ़-II पीएस, फतेहगढ़-IV पीएस (सेक्शन-II) व बाड़मेर-I पीएस में आईसीटी क्षमता का विस्तार	i. फतेहगढ़-II पीएस में 765/400 केवी, 1x1500 एमवीए ट्रांसफार्मर (सातवां) का संबंधित ट्रांसफार्मर बे के साथ क्षमता का विस्तार कार्यान्वयन समय सीमा: एसपीवी हस्तांतरण की तारीख से 21 महीने ii. फतेहगढ़-IV पीएस (सेक्शन -II) में 400/220 केवी 3x500 एमवीए (छठा , सातवां व आठवां) आईसीटी का संबंधित ट्रांसफार्मर बे के साथ क्षमता का विस्तार iii. बाड़मेर-I पीएस में 400 / 220 केवी, 2x500 एमवीए (तीसरा और चौथा) आईसीटी का संबंधित ट्रांसफार्मर बे के साथ क्षमता का विस्तार कार्यान्वयन समय सीमा - राजस्थान आरइजेड चरण -IV (भाग-2: 5.5 गीगावाट) योजना के मिलान समय सीमा में । [राजस्थान आरइजेड चरण -IV (भाग-2: 5.5 गीगावाट) योजना का अपेक्षित एसपीवी हस्तांतरण: 24 महीने की समय सीमा के साथ अगस्त'24]	पीएफसीसीएल

* पारेषण योजना का विस्तृत कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय पारेषण समिति की 21वीं बैठक के कार्यवृत्त और अनुवर्ती संशोधन, में निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://cea.nic.in/wp-content/uploads/comm_transmission/2024/08/21_NCT_MoM.pdf

बोली-प्रक्रिया समन्वयक की नियुक्ति दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों के अधीन है।

राकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./523/2024-25]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2024

F. No. CEA-PS-12-13/3/2022-PSPA-II Division.—In exercise of the powers conferred by Para 3.2 of the Tariff Based Competitive Bidding Guidelines for Transmission Services framed under Section 63 of the Electricity Act, 2003 (no. 36 of 2003) and Ministry of Power office order dated 28.10.2021, National Committee on Transmission (NCT) headed by Chairperson, Central Electricity Authority hereby appoints the following Bid-Process Coordinator (BPC) for the Transmission Schemes, as shown against the name of the Transmission schemes:

Sr. No.	Name of Scheme	Broad Scope* of the transmission scheme and Tentative Implementation timeframe	Bid Process Coordinator
1	Augmentation of transformation capacity at Banaskantha (Raghanesda) PS (GIS)	i. Augmentation of transformation capacity at Banaskantha (Raghanesda) PS (GIS) by 2x500 MVA 400/220 kV ICTs (3rd & 4th) Implementation time frame: 24 Months	RECPDCL
2	Augmentation of transformation capacity at KPS1 (GIS) and KPS2 (GIS) (Phase-V Part B1 and Part B2 scheme)	i. Augmentation of transformation capacity at KPS1(GIS) by 1x1500 MVA, 765/400 kV ICT on Bus section-II (9th) ii. Augmentation of transformation capacity at KPS2(GIS) by 1x1500 MVA, 765/400 kV ICT on Bus section-I (9th) Implementation time frame: 24 Months	RECPDCL
3	Augmentation at Fatehgarh-II PS, Fatehgarh-IV PS(Section-II) and Barmer-I PS	i. Augmentation with 765/400 kV, 1x1500 MVA Transformer (7th) at Fatehgarh-II PS along with associated transformer bays Implementation Timeframe: 21 Months from SPV transfer ii. Augmentation with 400/220 kV, 3x500 MVA (6 th , 7 th & 8 th) ICTs at Fatehgarh-IV PS(Section-II) along with associated transformer bays iii. Augmentation with 400/220 kV, 2x500 MVA (3 rd & 4 th) ICTs at Barmer-I PS along with associated transformer bays Implementation Timeframe: Matching with Rajasthan REZ Ph-IV (Part-2:5.5 GW) Scheme. [Rajasthan REZ Ph-IV (Part-2:5.5 GW) Scheme expected SPV transfer: Aug'24 with 24 months schedule]	PFCCL

*Detailed scope may be seen in the minutes of the 21st meeting of the National Committee on Transmission and subsequent amendments, available at:

https://cea.nic.in/wp-content/uploads/comm_transmission/2024/08/21_NCT_MoM.pdf

The appointment of the Bid-Process Coordinators is subject to the conditions laid down in the Guidelines.

RAKESH KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./523/2024-25]